न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 04 / 2015

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

भैरू पुत्र घांसी जाति नायक निवासी खेड़ी तहसील व जिला बारां (अप्रार्थी)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)

आदेश दिनांक– 11.07.2022

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थी के खाते विवादित आराजी ख0नं0 50 रकबा 1.29 है. किस्म माल I एवं ख0 नं0 50 / 376 रकबा 0.74 है. किता 2 कुल रकबा 2.03 है0 किस्म बारानी I वाके ग्राम खेड़ी तहसील–बारां राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2066–69 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2015–24 में मूल खसरा नंबर 52 मि. रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई की किस्म माल I अवैधानिक रूप से अप्रार्थी के खाते दर्ज कर दिया। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये अप्रार्थी को किया गया आवंटन / नियमन नियम विरूद्व है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी. बी.रिट संख्या 1536 / 2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों / नियमनो को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

अतः उक्त आवंटन / नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536 / 03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.01 11:25:38 IST
Reason: SelfAttested

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी परन्तु लम्बे समय तक अभिभाषक अप्रार्थी ने वकालतनामा व जवाब पेश नही करने पर अप्रार्थी को पुनः जर्ये नोटिस तलब

किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर प्रकरण बहस हेतु नियत कर पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस समाअत कर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

3— हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार की सुनी।

4— बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि ग्राम खेड़ी की आराजी सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2015–24 में साबिक खसरा नंबर 52 मि. रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा किस्म गै. मु. तलाई के हाल खसरा नंबर 50 रकबा 1.29 है. एवं 50/376 रकबा 0.74 है. किस्म माल I अप्रार्थी के खाते दर्ज की गयी। जिस वक्त भूमि की किस्म परिवर्तित की गयी उस वक्त विवादित आराजी की किस्म गै.मु.तलाई थी, जो परिवर्तन तथा नियमन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट ख0नं0 50 रकबा 1.29 है. एवं 50/376 रकबा 0.74 है. बने हैं, जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। जिसकी किस्म माल I व बारानी I दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है। ऐसे नियम विरूद्व आवंटन/नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित/नियमनशुदा आराजी को गै.मु.तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, बारां द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा–82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

5— हमने पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया, तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि सेटलमेंट जमाबन्दी सम्वत् 2015–2024 अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 52 रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज है। उक्त खसरा नंबर 52 रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा का अप्रार्थी को आवंटन/नियमन किया जाकर मुताबिक सेटलमेंट जमाबन्दी संवत 2038–57 खसरा नंबर 50/376 रकबा 0.74 किस्म माल I सिवायचक लगानी एवं खसरा नंबर 50 रकबा 1.29 [illegible] माल I अप्रार्थी के खाते दर्ज कर दी गई। एवं गया है। उक्त आराजी के बाद [illegible] संवत 2038–57 नये खसरा नम्बर 50 रकबा 1.29 है. एवं खसरा नंबर 50/376 रकबा [illegible] है, जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार अप्रार्थी को जिस वक्त भूमि आवंटन/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.01 11:25:38 IST
Reason: SelfAttested

6— अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि अप्रार्थी को आराजी खसरा नम्बर 52 रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई के बाद सेटलमेंट संवत 2038—57 नये खसरा नम्बर 50 रकबा 1.29 है. एवं खसरा नंबर 50/376 रकबा 0.74 हैं बने है। उक्त आराजी वास्तविक रूप से सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु.तलाई दर्ज थी जिसका आवंटन/नियमन अप्रार्थी को विधि विरूद्व हुआ है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन/नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

7— परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, बारां का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थी के वर्तमान में वाके ग्राम खेड़ी में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 50 रकबा 1.29 है. किस्म माल I एवं खसरा नंबर 50/376 रकबा 0.74 हैं किस्म बारानी I, जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 52 रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई से बना है जिसका अप्रार्थी को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा—82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार बारां को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

8— तहसीलदार, बारां को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत नियमन आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 11.07.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.01 11:25:38 IST
Reason: SelfAttested